संस्थाध्यक्षों हेतु स्वः अधिगम सामग्री

National Institute of Educational Planning and Administration (Deemed to be University)
National Centre for School Leadership

अधिगम क्षेत्र – शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का

शीर्षक

एक ही परिसर(स्कूल कॉम्पलेक्स) में संचालित होने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बेहतर अकादमिक समन्वयन एवं संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु प्रधानाचार्य का नेतृत्व उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में।

स्कूल लीडरशिप एकेडमी, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) उत्तराखण्ड, देहरादून

शीर्षक– एक ही परिसर (स्कूल कॉम्पलेक्स) में संचालित होने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बेहतर अकादमिक समन्वयन एवं संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु प्रधानाचार्य का नेतृत्व उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में।

क्षेत्र – शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपान्तरण।

उद्देश्य–

- स्कूल परिसर के समस्त मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण समन्वयन करना।
- स्कूल परिसर के समस्त भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करना।
- स्कूल परिसर के माध्यम से एकीकृत शिक्षा को बढावा देना।

की–वर्ड– स्कूल कॉम्पलेक्स, विद्यालय, नेतृत्वकर्ता, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, विद्यालय प्रबन्धन, सहभागिता ।

प्रस्तावना– समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा देश में स्कूलों की स्थापना ने सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है, लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यू–डाइस, 2016–17 के आंकड़े के अनुसार, भारत के सरकारी प्राथमिक स्कूलों और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में औसतन 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। वहीं उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उक्त आलोक में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं। जबकि स्कूलों में छात्र संक्ष्या का वितरण बिलकुल ही असमान है। वर्ष 2016–17 में 119303 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश (94028) कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ–साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों के उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का सफल संचालन जटिल होने के साथ–साथ व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है, और कई विषयों को भी जिसमें वह विषय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है– जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते हैं और भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं। उपरोक्त चुनौतियों के दृष्टिगत जनपद उत्तरकाशी के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्ञानसू, संकुल साल्ड, विकासखण्ड भटवाड़ी कर प्रधानाध्यापिका के द्वारा चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने के लिए की गयी पहल पर आधारित केस अध्ययन का अवलोकन करते हैं:–

केस स्टडी

जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड का सीमान्त जनपद है जिसकी सीमायें उत्तर में तिब्बत देश से लगी हुयी हैं। जनपद उत्तकाशी के उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में देहरादून, पूरब में जनपद चमोली तथा दक्षिण में टिहरी गढ़वाल स्थित है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है, इस क्षेत्र में माँ अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मन्दिर है, अन्नपूर्णा शब्द का पर्याय ही काशी है। पूरब की काशी के समान वरुणा व असी नदी के बीच बसा होने से उत्तरकाशी को सौम्यवाराणसी भी कहा जाता है। मानवजीवन की प्राणदायनी प्रमुख नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल इसी जनपद में हैं। उत्तराखण्ड के चार धामों में से दो धाम गंगोत्री एवं यमुनोत्री इसी जनपद में स्थित हैं। बाबा केदार का प्रसिद्ध मन्दिर काशी विश्वनाथ भी यहीं स्थित है।

इसी जनपद के जनपद मुख्यालय से 3 कि.मी. दूरी पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्ञानसू, संकुल साल्ड, विकासखण्ड भटवाड़ी में स्थित है। इस विद्यालय में श्रीमती किरन खण्डूरी प्रधानाध्यापिका के पद पर अपनी सेवायें दे रहीं हैं। विद्यालय में विगत कई वर्षो से विषय अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। प्रधानाध्यापिका ने महसूस किया कि जो बालिकायें कक्षा 8 उत्तीर्ण कर "राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्ञानसू, में प्रवेश ले रही है उनका अधिगम स्तर बहुत न्यून है, इस समस्या के संज्ञान में आते ही प्रधानाध्यापिका ने अपने स्टाफ की एक बैठक आहूत कर विद्यालय की उक्त समस्या के समाधान के विषय में चर्चा–परिचर्चा की। सभी अध्यापिकाओं की सहमति बनी कि क्यों न उक्त विद्यालय के शिक्षण की जिम्मेदारी ली जाय। अपने विद्यालय की अध्यापिकाओं के इस विचार के पश्चात् प्रधानाध्यापिका ने राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानसू के अध्यापकों से सम्पर्क किया और उन्हें इस विचार से अवगत कराया। राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानसू की अध्यापिकाओं ने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया एवं प्रधानाध्यापिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके पश्चात् प्रधानाध्यापिका ने दोनों विद्यालयों की अध्यापिकाओं की एक संयुक्त बैठक ली जिसमें शिक्षण सम्बन्धित सभी गतिविधियों को समन्वित रूप से चलाने पर सहमति बनी। इसी बैठक में दोनों विद्यालयों ने सामूहिक समय सारिणी तैयार की। जिसमें प्रधानाध्यापिका ने स्वयं से शुरुआत करते हुये कक्षा 7 एवं कक्षा 8 में विज्ञान विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। "राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्ञानसू के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर बढ़ने के साथ–साथ राज्य एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता होने लगी। यथा– वर्ष 2018–19 में इस विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा कुमारी मानसी ने राज्य स्तरीय इन्सपायर प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया।

प्रबंधन के लिए भी एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति और स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंच मुश्किल बना देती है। हालांकि स्कूलों का एकीकरण एक ऐसा विकल्प है, जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है, इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रक्रिया का बच्चो की पहुँच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणामस्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना तो दिखती है, परन्तु बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान होने की संभावना कम है ।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप से व्यवस्थित किये जाने हेतु प्रक्रिया अपनायी जा रही है। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि–

• प्रत्येक स्कूल में कला, संगीत विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय, आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता (काउंसलर)/प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद हों।

• प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त संसाधन (साझा या अन्यथा) हों, जैसे कि पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण इत्यादि।

• शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाव या एकाकीपन को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण–अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, क्विज और वाद–विवाद, और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना।

• दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन की व्यवस्था हो।

स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएँ ये निर्णय स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाये–और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को एक एकीकृत अर्ध–स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जान उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त को पूर्ण करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर (स्कूल कॉम्पलेक्स) नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें पांच से दस किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित अपने पड़ोस में संचालित निचले ग्रेड की कक्षाओ वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा

दिया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। यह नीति जहाँ भी संभव हो, स्कूल परिसर/क्लस्टर के विचार का दृढ़ता से समर्थन करती है। स्कूल परिसर/क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन से है।

स्कूल कॉम्प्लेक्स/कलस्टर बनने से और स्कूल कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, विविध विषयों पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक गतिविधियाँ, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना। कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के साझे प्रयास से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए आईसीटी टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का समावेश करना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों (काउंसलर) की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता, जिससे नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स में प्रबंधन समितियों के माध्यम से बेहतर और मज़बूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता–पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ हो सकेगी।

स्कूल कॉम्पलेक्स के प्रत्येक विद्यालय के प्रभावी गवर्नेंस और प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में सुझाये गयी रणनीति

स्कूल कॉम्प्लेक्स अथवा क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस सुधरेगा । पहले, डी.एस.ई. स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा तत्पश्चात स्कूल कॉम्प्लेक्स एक अर्ध–स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) और ब्लॉक शिक्षा अधिकार (बी.ई.ओ.) हर स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स डी.एस.ई. (निदेशक विद्यालयी शिक्षा) द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभायेंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल से समन्वय करेंगे। डीएसई द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी जिसके बल पर वे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ) और स्टेट पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एस.सी.एफ.) का अनुपालन करते हुए, समुचित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठ्यचर्या, शिक्षण–शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो सकें। इस संगठन के तहत, स्कूल मजबूत होंगे, ज्यादा स्वायत्तता पूर्वक कार्य कर पाएंगे और इससे कॉम्प्लेक्स अधिक नवाचारी और जिम्मेदार बनेगें।

इन कॉम्प्लेक्स द्वारा दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक सन्दर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल एस.एम.सी. की मदद से अपनी योजनायें एस.डी.पी. (विद्यालय विकास योजना) बनायी जायेगी। स्कूलों के प्लान के आधार पर एस.सी.डी. पी. (स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना) बनायी जायेगी। एससीडीपी में कॉम्प्लेक्स से सम्बंधित अन्य सभी संस्थानों, जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, के प्लान शामिल होंगे और इसे कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक एस.सी.एम.सी.(स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति) की मदद से तैयार करेंगे और इस योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी करवाया जायेगा। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षण–अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधार के लिए ली जाने वाली पहले, वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति सम्बन्धी पहले, शिक्षक क्षमता संवर्द्धन योजना और शैक्षणिक परिणामों सम्बन्धी लक्ष्य सम्मिलित होंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को एक जीवंत अधिगम केंद्रित समुदाय के रूप में विकसित करने के अवसर प्राप्त होंगे। एस.डी.पी. और एस.सी.डी.पी. वे माध्यम होंगे जिनसे डी.एस.ई. समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाये रखेंगे। एस.एम.सी. और एस.सी.एम.सी., एस.डी.पी. और एस.सी.डी.पी. का सहयोग स्कूलों की कार्य प्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त होगा। डी.एस.ई., बी.ई.ओ. (ब्लाक शिक्षा अधिकारी) जैसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के एस.सी. डी.पी. को स्वीकृति देंगे। इसके उपरांत, डी.एस.ई. इन योजनाओं की सफलता के लिए, अल्पावधि (एक वर्ष) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) के लिए वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराएंगें। शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जायेगा। डी.एस.ई. और एस.सी.ई.आर.टी. सभी स्कूलों के साथ एस.डी.पी. और एस. सी.डी.पी .के विकास के लिए विशेष मानक (उदाहरण के लिए वित्तीय, स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी) और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जायेगा। .

निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर सम्बद्ध किया जायेगा जिससे ऐसे सम्बद्ध स्कूल एक–दूसरे से मिलकर सीख सकें और संभव हो तो एक–दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें। जहाँ संभव हो, इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण कर वितरण किया जायेगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जायेगा।

स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। विद्यालय

के अवकाश के दिनों में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेल–जोल के लिए किया जाना चाहिए जिससे स्कूल एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में विकसित हो सकेंगे।

चर्चा प्रश्न–

- *एक ही परिसर में विभिन्न विद्यालयों के संचालित होने से क्या क्या समस्यायें हो सकती है ?*
- *इन समस्याओं के निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है ?*

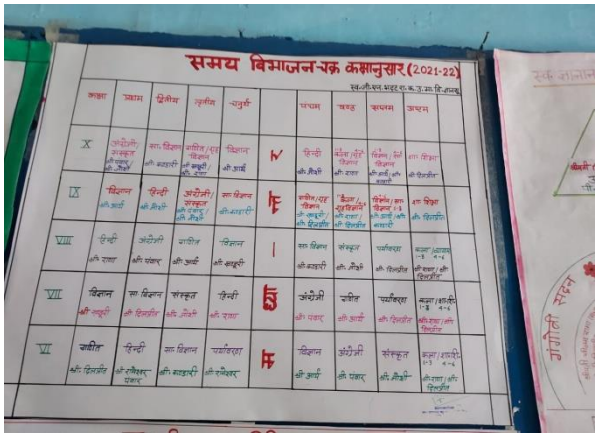

चर्चा प्रश्न

एक ही परिसर में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं जिनमें मानवीय, भौतिक संसाधनों का अभाव हैं। आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य है उस परिसर में बेहतर शैक्षिक गतिविधियों के नियोजन हेतु आपकी क्या कार्ययोजना होगी ? आप अपनी कार्ययोजना में किन 5 बिन्दुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगें ?

समेकन– उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों व सीमित संसाधनों के कारण हर क्षेत्र में अनेक कठिनाईयाँ है। शिक्षा के क्षेत्र मे भी बहुत सारी व्यवहारगत समस्यायें हैं जिनकी पृष्ठभूमि में मानवीय व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। वर्तमान में अनेक शिक्षा संकुलों में यह समस्या है कि एक ही परिसर में स्थित विभिन्न स्तर के विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में एकरूपता नहीं है, जिससे संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसका सीधा प्रभाव शैक्षिक वातावरण के सृजन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्र संम्प्राप्ति पर पड़ रहा है जो कि विचारणीय है। विभागीय स्तर से भी इस समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही की जा रही है फिर भी कतिपय शिक्षा संकुलों में शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन सही रूप से नहीं हो पा रहा है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020** के विभिन्न प्रस्तरों में इस बात पर बल दिया गया है कि एक ही परिसर में स्थित विभिन्न स्तर के विद्यालयों को एकीकृत किया जाए व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मानवीय संसाधनों का महत्तम उपयोग किया जाय। समग्र शिक्षा अभियान के प्रावधानों में भी विद्यालयों के एकीकरण की बात कही गयी है और एकीकृत विद्यालयों को अनुदान की धनराशि बढ़ाकर दी जा रही है। शैक्षिक नेतृत्व और पारस्परिक समन्वयन से शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन व संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सकता

है। विभिन्न स्तर के विद्यालयों के नेतृत्वकर्ता अपनी भूमिकाओं के सम्यक निर्वहन और गतिविधियों के नियोजन से शैक्षिक वातावरण का सृजन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व छात्र सम्प्राप्ति को उत्कृष्ट कर सकते हैं। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020** के आलोक में विद्यालयों को स्कूल कॉम्पलेक्स की अवधारणनुसार उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न स्तर पर साझा प्रयास किए जा रहे हैं।

सन्दर्भ सूची–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्रॉफ्ट–2019
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020